



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245685
CG-DL-E-04052023-245685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1989]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1989]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2077(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में NH503 के कि.मी. 173.2 से कि.मी.193.407 (कांगरा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी काँगड़ा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक

पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में NH503 के कि.मी. 173.2 से कि.मी.193.407 (कांगरा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: काँगड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: काँगड़ा					
गांव का नाम: बाडछ (५६५)					
1	225	निजी(बंजर कदीम)	बंजर कदीम	0.0031000(हेक्टेयर)	0.0031000
गांव का नाम: हार(578)					
1	106/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0460000(हेक्टेयर)	0.0460000
2	113/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0486000(हेक्टेयर)	0.0486000
3	114/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0077000(हेक्टेयर)	0.0077000
4	615/73/2	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.1266000(हेक्टेयर)	0.1266000
5	686/71/2/1	निजी(खडेतर्)	खडेतर्	0.0254000(हेक्टेयर)	0.0254000
6	687/71/1	निजी(खडेतर्)	खडेतर्	0.0957000(हेक्टेयर)	0.0957000
7	688/71/1	निजी(खडेतर्)	खडेतर्	0.0720000(हेक्टेयर)	0.0720000
8	72/2/1	निजी(खडेतर्)	खडेतर्	0.1524000(हेक्टेयर)	0.1524000
9	77/3	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0211000(हेक्टेयर)	0.0211000
10	81/2/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0185000(हेक्टेयर)	0.0185000
11	92/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0457000(हेक्टेयर)	0.0457000
12	93/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0880000(हेक्टेयर)	0.0880000

13	94	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.0251000(हेक्टेयर)	0.0251000
14	95/1	निजी(बारानी अब्बल)	बारानी अब्बल	0.3092000(हेक्टेयर)	0.3092000
गांव का नाम: पलवाना (549)					
1	626/2/1	निजी(बंजर कदीम)	बंजर कदीम	0.0272000(हेक्टेयर)	0.0272000
गांव का नाम: रसूह(801)					
1	20/2	निजी(बारानी दोयम)	बारानी दोयम	0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
गांव का नाम: रिहालकड (572)					
1	50/1/1	सरकारी(जंगल महफुसा गैर मेहदूदा)	जंगल महफुसा गैर मेहदूदा	0.0088000(हेक्टेयर)	0.0088000
कुल				1.1284	1.1284

[फा. सं. 11014/10/2018/PIU-HMR/5/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2077(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH503 in the stretch of land from Km 173.2 to Km193.407 (Kangra) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Kangra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH503 in the stretch of land from Km 173.2 to Km193.407 (Kangra) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: KANGRA		
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kangra					
Village: Barch (565)					
1	225	Private(Banjar Kadim)	Banjar Kadim	0.0031000(Hectare)	0.0031000
Village: Har (578)					
1	106/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0460000(Hectare)	0.0460000
2	113/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0486000(Hectare)	0.0486000
3	114/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0077000(Hectare)	0.0077000
4	615/73/2	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.1266000(Hectare)	0.1266000
5	686/71/2/1	Private(Khadetar)	Khadetar	0.0254000(Hectare)	0.0254000
6	687/71/1	Private(Khadetar)	Khadetar	0.0957000(Hectare)	0.0957000
7	688/71/1	Private(Khadetar)	Khadetar	0.0720000(Hectare)	0.0720000
8	72/2/1	Private(Khadetar)	Khadetar	0.1524000(Hectare)	0.1524000
9	77/3	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0211000(Hectare)	0.0211000
10	81/2/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0185000(Hectare)	0.0185000
11	92/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0457000(Hectare)	0.0457000
12	93/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0880000(Hectare)	0.0880000
13	94	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.0251000(Hectare)	0.0251000
14	95/1	Private(Barani Abbai)	Barani Abbai	0.3092000(Hectare)	0.3092000
Village: Palwana (549)					
1	626/2/1	Private(Banjar Kadim)	Banjar Kadim	0.0272000(Hectare)	0.0272000
Village: Rasuh (801)					
1	20/2	Private(Barani Doyam)	Barani Doyam	0.0073000(Hectare)	0.0073000
Village: Rehalkar(572)					
1	50/1/1	Government(Jungle Mehfusa Gair Mehduda)	Jungle Mehfusa Gair Mehduda	0.0088000(Hectare)	0.0088000
Total				1.1284	1.1284

[F. No. 11014/10/2018/PIU-HMR/5/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.